बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजयचन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

सत्यमेव जयते

पत्रांक : 55 दिनांक 10/10/12

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष के पदस्थापन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा, का स्थानांतरण अपर समाहर्त्ता पटना से उप विकास आयुक्त भोजपुर (आरा) किया गया है। इस संबंध में संघ के पत्र-33 दिनांक-16.07.2012 द्वारा उनका पदस्थापन पटना में समकक्ष पद पर करने का अनुरोध भी किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय से मुख्य सचिव स्तर से निर्गत पत्रांक- 838 दिनांक-08.10.05 एवं 483 दिनांक-17.05.2006 (छाया प्रति संलग्न) में प्रावधान किया गया है कि "संघ/महासंघ के पदधारको को पूरे सेवा काल में एक बार दो वर्षो के लिए स्थानांतरण पर रोक का लाभ सिर्फ मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के पदधारकों को अनुमान्य होगा" दिनांक-23.09.2012 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठक में अध्यक्ष के स्थानांतरण होने पर सदस्यों द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई एवं अध्यक्ष के स्थानांतरण की घोर निन्दा की गयी। यह निर्णय लिया गया कि सरकार से उनका पदस्थापन पटना में समकक्ष पद पर करने का अनुरोध किया जाय

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित प्रावधान के अनुसार श्री सुरेश कुमार शर्मा उप विकास आयुक्त, भोजपुर का पदस्थापन पटना में ही समकक्ष पद पर किया जाय।

विश्वासभाजन

(सुशील कुमार)

महासचिव

पत्रांक- बी/स्था.01-001/05- 483 /

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 कंग,

मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिलाधिकारी

पटना-15, दि0 17 मई, 2006.

विषय:- संघ/महासंघ के कार्यकारिणी के पदधारकों/पदाधिकारियों का उनके कार्यावधि में स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक- 838 दिनांक 08.10.2005 के क्रम में सूचित करना है कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ/महासंघ के कार्यकारिणी के पदधारकों/पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. पूरे सेवाकाल में एक बार दो वर्षों के लिए स्थानान्तरण पर रोक का लाभ सिर्फ मान्यता प्राप्त संघ/महासंघों के पदधारकों को अनुमान्य होगा।

2. यह लाभ मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के राज्य इकाई, प्रमंडलीय इकाई एवं जिला इकाई तक ही अनुमान्य होगा।

3. राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के अध्यक्ष एवं अन्य पाँच पदधारकों को स्थानान्तरण से रोक का लाभ अनुमान्य होगा। इन पाँच सदस्यों का नाम, संबंधित मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के अध्यक्ष लिखित रूप से देंगे।

4. प्रमंडल स्तर पर मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष के अतिरिक्त तीन पदधारकों को यह लाभ देय होगा। इन तीन पदधारकों की सूची संघ/महासंघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रमंडलीय स्तर के पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

5. मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के जिला स्तरीय इकाई के अध्यक्ष एवं अन्य दो पदधारकों को यह लाभ अनुमान्य होगा। जिला इकाई के अध्यक्ष अन्य दो पदधारकों का नाम संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला स्तरीय पदाधिकारी को देंगे।

.........2

6. अनुशासनहीनता/कर्त्तव्यहीनता/सरकारी सेवक के लिए निर्धारित माप-दंड के प्रतिकूल अभियुक्ति वाले पदधारकों को यह लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

7. दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के दूसरे दिन से पदधारक उक्त लाभ से वंचित स्वतः हो जायेंगे। चाहे उक्त मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ के नई कार्यकारिणी का गठन हो अथवा नहीं हो।

8. जो अराजपत्रित कर्मचारी (पदधारक) इसका लाभ लेंगे, उनकी सेवापुस्त में संबंधित पदाधिकारी इस आशय का प्रविष्टी कर देंगे ताकि दुबारा लाभ भूलवश या अन्य कारणों से न ले सकें।

9. कौन-कौन संघ मान्यता प्राप्त हैं, इस संबंध में लाभ देने वाले कार्यालय/विभाग संबंधित संघ/महासंघ से मान्यता के संबंध में (मान्यता का आधार) प्राप्त कर लेंगे तथा संतुष्ट हो लेंगे कि वास्तव में उन्हें मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं।

10. मान्यता प्राप्त संघों/महासंघों के कार्यकारिणी का चुनाव जल्द से जल्द नियमानुसार कराया जाये।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/पदाधिकारियों को देने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

(जी० के०)
मुख्य सचिव, बिहार

सिंह,
16.05

पत्रांक-सी/स्था-1-101/89- 238

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(सामान्य शाखा)

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 कंग,

मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागों के सचिव

सरकार के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलों के आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दि0 8 अक्तूबर, 05.

विषय- संघ/महासंघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का उनके कार्यावधि में स्थानान्तरण के संबंध में।

महाशय,

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-5369/95 बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दि0 16.8.95 को पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के संघ/महासंघ के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को उनकी कार्यावधि में स्थानान्तरित नहीं किये जाने का कोई वैधानिक प्रावधान संभवतः नहीं है। यदि ऐसा प्रावधान किया गया भी है तो वह भारतीय संविधान की अनुच्छेद-14 में निहित प्रावधान के प्रतिकूल माना जायेगा।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश के आलोक में विधि विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि स्थानान्तरण एक सामान्य प्रक्रिया है। अतः पदधारकों को एक ही स्थान पर बने रहने या स्थानान्तरित नहीं होने का अधिकार नहीं बनता है। स्थानान्तरण पर रोक लगाना पूर्णतः विधि सम्मत नहीं होगा। इस संबंध में महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना का परामर्श भी लिया गया है।

3. महाधिवक्ता की राय एवं माननीय न्यायालयों के विभिन्न न्यायादेशों तथा विभिन्न पहलुओं पर सम्यक विचारोपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (सामान्य शाखा) के पत्रांक 5070 दि0 17.9.68,

क्र0पृ0-2.....

संकल्प 1031 दि० 12.4.89 एवं 788 दि० 11.5.92 द्वारा संसूचित आदेश को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्र सं0-10/आर1-1095/74-का0-2795 दि० 25.11.1975 में दिये गये निदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ/संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों/सदस्यों के स्थानान्तरण पर रोक मात्र एक ही कार्यावधि अर्थात कार्यकारिणी के पदाधिकारी होने की तिथि से अधिक से अधिक दो वर्षों तक के लिए किसी कर्मचारी के पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार ही लागू होगा।

4. कृपया उपर्युक्त जानकारी अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों को देते हुए सूचना दी जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-
(जी० एस० कंग)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार,
लघु सिंचाई विभाग।

ज्ञापांक-प्र05/अ0नि0/स्था0(1)-26/03- 4609 आ०/दि० 10-11-05.

प्रतिलिपि: परियोजना निदेशक, नलकूप प्रभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग एवं नलकूप प्रभाग सहित तथा प्रशाखा-1 एवं 6, लघु सिंचाई निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
10/11/05